

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 62 / 2016

दायर दिनांक 22.11.2016

शम्भु	उनवान	डालू
	बनाम	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 27.02.2020

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई। मूल वाद 108/2016 में दिनांक 11.05.2018 को कार्यवाई ड्राप होने से मूल वाद में कोई कार्यवाई शेष नहीं रही। पतरावली में कोई कार्यवाई शेष नहीं रही। पतरावली में कार्यवाई ड्राप की जाती है अतः -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

